रजिस्ट्री सं० डी-222 REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 26, 1974 (माघ 6, 1895)
No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 26, 1974 (MAGHA 6, 1895)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस
NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 28 फरवरी 1973 तक प्रकाशित किए गए हैं—
The undermentioned Gazttes of India Extraordinary were published up to the 28th February 1973:—

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
1	2	3	4

——शून्य——
——Nil——

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां, प्रकाशन नियन्त्रक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र नियन्त्रक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the Gazettes Extraordinary mentioned above will be supplied on indent to the Controller of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Controller within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	107
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	127
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	95
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट . .	
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं।)	
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारी द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .	
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	409
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	47
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	17
भाग IV—गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	17
पूरक संख्या 4—	
19 जनवरी, 1974 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट .	45
5 जनवरी, 1974 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 40,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु-संबंधी आंकड़े	57

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notification relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	107
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	7
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	1
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence.	95
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories ..	
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defnce ..	
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	409
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta ..	47
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	17
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	17
SUPPLEMENT NO. 4	
Weekly Epidemiological Reports for week ending 19th January, 1974	45
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 5th Janua1974	57

*Folio Nos. not received from Ring Road Press at the time of printing this Gazette.

भाग I—खण्ड 1
PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notification relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी 1974

सं० 24-प्रेज/74—राष्ट्रपति केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम तथा पद
श्री ओ० पी० शर्मा,
सूबेदार,
45 वीं बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

31 अक्टूबर, 1972 को जब श्री ओ० पी० शर्मा अपने तीन कांस्टेबलों के साथ दौरे से आन्ध्र प्रदेश के खम्माम जिले में अपनी कम्पनी के मुख्यालय को लौट रहे थे, तो उन्होंने जंगल के रास्ते से 6 व्यक्तियों को गुजरते हुए देखा। उनमें से एक व्यक्ति तौलिये में ढकी छड़ी जैसी कोई वस्तु लिये हुए था। कुछ संदेह होने पर श्री शर्मा ने संदिग्ध व्यक्तियों को अपना परिचय देने के लिये ललकारा। संदिग्ध व्यक्ति ने, जो तौलिये से ढकी दुनाली बंदूक लिये हुए था, श्री शर्मा पर गोली चला दी। श्री शर्मा गोली से बाल-बाल बचे। पुलिस दल के दबाव से आततायियों ने घने जंगल में बच कर भाग निकलने का प्रयत्न किया। अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए श्री शर्मा ने उस आततायी का पीछा किया जो बन्दूक लिए हुए था। आततायी के साथ संघर्ष में श्री शर्मा को बन्दूक के कुन्दे से गम्भीर चोट लगी किन्तु वे अविचलित रहे और अन्तत: सशस्त्र आततायी को काबू में कर लिया। तलाशी लेने पर दुनाली बन्दूक के अतिरिक्त एक छुरा और कुछ अन्य वस्तुएं भी उक्त अपराधी के पास से बरामद हुईं।

इस मुठभेड़ में श्री ओ० पी० शर्मा ने उत्कृष्ट साहस और उच्च कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 31 अक्तूबर, 1972 से दिया जाएगा।

दिनांक 20 जनवरी 1974

सं० 25-प्रेज/74—राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्तियों को उनकी अति उत्कृष्ट वीरता के लिए "अशोक चक्र" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं:—

1. श्री मुन्नीलाल, (मरणोपरान्त)
ग्राम विनायकी, थाना राहतगढ़,
जिला सागर, मध्य प्रदेश।
(पुरस्कार की प्रभावी तिथि-12 अप्रैल, 1972)

12 अप्रैल 1972 को लगभग 7.30 बजे सायं बन्दूक आदि से लैस 14-15 डाकुओं का एक गिरोह डकैती और अपहरण के लिए मध्य प्रदेश में सागर जिले के विनायकी अबादी नामक गांव में घुसा। जैसे ही श्री मुन्नीलाल ने डाकुओं के गिरोह को गांव की ओर आते देखा, उन्होंने गांव वालों को सचेत कर दिया तथा मुकाबला करने के लिये उन्हें संगठित करना आरम्भ किया। केवल दो ग्रामिणों के पास ही बन्दूकें थी। श्री मुन्नीलाल ने उनमें से एक को एक सुरक्षित स्थान पर तैनात कर दिया और उसे यह कहा कि जैसे ही डाकू उसकी बन्दूक की मार के अन्दर आएं वह फौरन उन पर गोली चला दे। दूसरे व्यक्ति को उन्होंने कहा कि वह बिल्कुल तैयार रहे और आवश्यकता पड़ने पर उन पर गोली चलाना शुरू कर दे। बाकी ग्रामीणों को लाठियां देकर उन्हें कई दलों में बांटा और उन्हें साथ लेकर अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की तनिक भी परवाह न करते हुए वे डाकुओं पर घेरा डालने के लिए उनका नेतृत्व करने लगे। श्री मुन्नीलाल अपने प्रयत्नों में सफल हुए और लाठी से एक डाकू का सामना किया। जब बाकी डाकुओं ने देखा कि गांव वाले उनका मुकाबला करने के लिए दृढ़-संकल्प हैं तो उन्होंने श्री मुन्नीलाल पर गोली चला दी जिसके फलस्वरूप उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यू हो गई। यद्यपि डाकू उत्तम शस्त्रों से लैस थे फिर भी ग्रामिणों ने श्री मुन्नीलाल के नेतृत्व में जिस वीरता और साहस के साथ डाकुओं का मुकाबला किया उससे वे

इतने भयभीत हो गये कि वहां से भाग निकले। श्री मुन्नीलाल ने स्थिति को बहुत ही सफलता पूर्वक संभाला और ग्रामिणों की जान-माल की रक्षा की, यद्यपि इस मुठभेड़ में वे स्वयं वीरगति को प्राप्त हुए ।

सशस्त्र डाकुओं का सामना करने में श्री मुन्नीलाल ने जिस निर्भीकता, नेतृत्व और आत्म-बलिदान का परिचय दिया, वह वीरता और आत्मोत्सर्ग का एक ज्वलन्त उदाहरण है।

2. जेसी-47692 नायब सूबेदार गुरनाम सिंह (मरणोपरांत) इंजीनियर्स ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—23 सितम्बर, 1973)

23 सितम्बर, 1973 को मिलिट्री इंजीनियरिंग कालेज ने डिफेंस सर्विसिज स्टाफ कालेज के विद्यार्थी अफसरों व स्टाफ के लिये एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। उसमें इस चीज को भी दिखाने की व्यवस्था की गई थी कि शत्रु की बिछाई हुई सुरंगों का सफाया करने के लिये किस प्रकार एक विस्फोटक चार्ज से फायर किया जाता है । सेना में इस विधि को हाल ही में अपनाना शुरू किया गया है। युद्ध के दौरान इस विस्फोटक चार्ज से वास्तविक रूप में जिस प्रकार फायर किया जाता है उसका उदाहरण पेश करने के लिये नायब सूबेदार गुरनाम सिंह को तैनात किया गया। उन्हें सहयोग देने के लिये 7 सपरों को भी उनके अधीन रखा गया था।

जिस समय नायब सूबेदार गुरनाम सिंह बारूदी सुरंगों का सफाया करने वाले विस्फोटक चार्ज को ठीक कर उससे फायर करने के लिये तैयार हुए तो उन्होंने देखा कि उसका आग पकड़ने वाला भाग, समय से पूर्व ही आग पकड़ चुका है और दस सैकिंड में ही विस्फोट हो जाएगा, अपने अधीनस्थ व्यक्तियों के जीवन पर संकट का अनुभव करते हुए उन्होंने तुरन्त अपने साथियों को वहां से सुरक्षित स्थान को भाग जाने के लिए आदेश दिया और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की तनिक भी परवाह न करते हुए उस विस्फोटक चार्ज की पूरी हिफाजत के लिये उसके टेल इनिशियेटर को उससे अलग करने का खतरनाक काम स्वयं हाथ में लिया ताकि उपकरणों को भी बचाया जा सके और प्रदर्शन में कोई बाधा न पड़े। परन्तु दुर्भाग्यवश पूरे प्रयास किये जाने पर और दृढ़-संकल्प होते हुए भी वे इन चन्द सकिंडों में विस्फोट होने से न रोक सके। विस्फोट हुआ और नायब सूबेदार गुरनाम सिंह के टुकड़े-टुकड़े हो गए। इस तरह नायब सूबेदार गुरनाम सिंह ने अपने अधीनस्थ सनिकों की जान बचाने के लिये आत्म-बलिदान किया।

इस कार्रवाई में नायब सूबेदार गुरनाम सिंह ने सर्वोत्कृष्ट वीरता, नेतृत्व और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देकर सेना की उच्चतम परम्पराओं को बनाए रखा।

दिनांक 26 जनवरी 1974

सं० 23-प्रेज/74—राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को कर्तव्य के प्रति असाधारण निष्ठा अथवा साहस पूर्ण कार्यों के लिये "सेना मैडल"/"आर्मी मैडल" प्रदान किये जाने का अनुमोदन करते हैं:—

1. मेजर मन मोहन मलिक (आई सी-13668), गोरखा रायफल्स।

मेजर मन मोहन मलिक 22 जून, 1972 को नागालैण्ड के एक क्षेत्र म उपद्रवियों को पकड़ने वाले एक सन्य दल के प्रभारी अधिकारी थे। मेजर मलिक के नेतृत्व में यह दल ऊबड़-खाबड़ इलाके में से एक लम्बा फासला तय करके उपद्रवियों के कैम्प के क्षेत्र में पहुंचा । सुबह 3 बजे वहां पहुंचने पर मजर मलिक ने झटपट स्थिति भांप ली और दिन निकलने तक प्रतीक्षा करने की अपेक्षा रात के अन्धेरे में ही उपद्रवियों के छुपाव स्थान पर धावा बोलने का निर्णय किया। उन्होंने तदनुसार अपने दल के सैनिकों को अलग-अलग काम सौंपा और स्वयं मुख्य दल के साथ उपद्रवियों के कम्प की ओर बढ़े। बड़ी दृढ़तापूर्वक वे झोंपड़ियों के पास पहुंचे। एकाएक एक झोंपड़ी में से एक उपद्रवी बाहर आया और जंगल की ओर भागा। मेजर मलिक उसके पीछे भागे और उन्होंने उसे पकड़ लिया। इसके बाद उस क्षेत्र की छानबीन की गई और वहां से पांच उपद्रवी बड़ी मात्रा में हथियार व बारूद तथा कागजात पकड़े गये।

इस कार्यवाही में मेजर मन मोहन मलिक ने साहस एवं नेतृत्व का परिचय दिया।

2. मेजर जंग बहादुर सिंह मेहता (आई सी-18769), डोगरा रेजिमेंट।

मेजर जंग बहादुर सिंह मेहता 22/23 सितम्बर, 1972 की रात को, नागालैण्ड में एक गांव के पास उपद्रवियों की मौजूदगी के बारे में मिली अफवाह की असलियत का पता लगाने के लिये भेजे गये एक गश्ती दल के प्रभारी अधिकारी थे। संदिग्ध छुपाव स्थान एक अपरिचित क्षेत्र मे था, अत मेजर मेहता ने स्वेच्छा पूर्वक स्काऊट का काम करने का भार स्वीकार किया और इस प्रकार वह गश्ती दल का नेतृत्व कर रहे थे। सुबह लगभग 3-30 बजे उपद्रवियों ने सहसा उन पर गोलियां चलाईं। मेजर मेहता आगे की ओर दौड़े इस बीच वह लगातार गोली चला रहे थे और उन्होंने दो उपद्रवियों को घायल कर दिया तथा एक के साथ भिड़ पड़े। इस संक्रिया में उनकी गर्दन पर गोली लगी और वह बुरी तरह से घायल हो गये। किन्तु वह निर्भीक हो कर संदिग्ध छुपाव स्थान की ओर गश्ती दल को ले कर बढ़ते गये और तीन घंटे के बाद उन्होंने कैम्प को घेर लिया तथा एक उपद्रवी को पकड़ लिया। इस दौरान में उनके शरीर से लगातार अत्याधिक खून बहता रहा, लेकिन उन्होंने लक्ष्य प्राप्ति के बाद ही स्वयं को वहां से हटाया जाने की अनुमति दी।

इस कार्यवाही में मेजर जंग बहादुर सिंह मेहता ने उत्कृष्ट साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया

3. कैप्टन सुरिन्दर सिंह (आई सी-18226), आर्मी आर्डनेन्स कोर।

5 मई, 1972 को सेन्ट्रल एम्यूनीशन डिपो, पुलगांव, के एक प्लेटफार्म पर पाकिस्तान से पकड़े गये गोलाबारूद की एक दुर्घटना हुई जिसके फलस्वरूप लगभग 2300 भरे हुए प्रक्षेपक डिपो के अन्दर, विस्तृत क्षेत्र में बड़े ही खतरनाक ढंग से इधर-उधर बिखर गये। इनमें से कुछ भरे हुए खतरनाक प्रक्षेपक विस्फोटक भण्डार गृहों की छतों पर और गलियारों के भीतर भी जा पड़े और इससे वहां रखे हुए गोलाबारूद को खतरा पैदा हो गया। कैप्टन सुरिन्दर सिंह ने जिन्हें कि इस खतरनाक गोलाबारूद को वहां से हटाने का काम सौंपा गया, इस काम को बड़ी दृढ़ता, साहस तथा कर्त्तव्यनिष्ठा के साथ हाथ में लिया। आमतौर पर इस तरह के काम में छः से नौ महीने तक का समय लगता, लेकिन कैप्टन सुरिन्दर सिंह ने दो अन्य अधिकारियों एक जूनियर कमीशंड अधिकारी, दो गोलाबारूद तकनीकी नान-कमीशंड अधिकारियों तथा 20 मजदूरों की मदद से इसे केवल 67 दिन के थोड़े समय में ही पूरा कर दिया। इस कार्य को करने में इन्होंने पास के विस्फोटक भण्डारगृहों में रखे गोलाबारूद को बचाने की दृष्टि से भरे हुए खतरनाक प्रक्षेपकों को उठाने का जोखिम भरा काम किया। अपने व्यक्तिगत उदाहरण से उन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों में निष्ठा की भावना का संचार किया और इस प्रकार बिना किसी दुर्घटना के और कम से कम सरकारी खर्चे पर, थोड़े से थोड़े समय में समूचे क्षेत्र को निरापद बना दिया।

इस कार्यवाही में कैप्टन सुरिन्दर सिंह ने साहस नेतृत्व और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

4. सैकण्ड लेफ्टिनेन्ट जसबीर सिंह (आई सी-24567), कुमाऊं रैजिमेंट।

सैकण्ड लेफ्टिनेन्ट जसबीर सिंह 4 फरवरी, 1972 को नागालैण्ड के एक क्षेत्र की छानबीन कर रहे गश्ती दल के प्रभारी अधिकारी थे। लगभग 10 बजे उपद्रवियों ने घात लगा कर उस पर हमला बोल दिया और भारी गोलाबारी की। सैकण्ड लेफ्टिनेन्ट जसबीर सिंह ने बड़ी सूझ-बूझ और साहस के साथ आगे बढ़कर हमला किया और घात लगाने वालों के कमाण्डर, तथा कथित ले० पुशात्सो को मार डाला तथा उसके हथियार को नष्ट कर दिया। घात लगाने वाले दल के अन्य लोग हड़बड़ाकर इधर-उधर भाग गये। इस अधिकारी ने 10 जुलाई, 1971 को भी इसी तरह की एक कार्यवाही में हमले के दौरान एक उपद्रवी को मार डाला था और एक अन्य को पकड़ लिया था।

इस कार्यवाही में सैकण्ड लेफ्टिनेन्ट जसबीर सिंह ने साहस और नेतृत्व का परिचय दिया।

5. सैकण्ड लेफ्टिनेन्ट मेहर सिंह पठानिया (एस एस-25726) पंजाब रेजिमेन्ट।

सैकण्ड लेफ्टिनेन्ट मेहर सिंह पठानिया, 5 से 10 अक्तूबर, 1972 तक नागलैण्ड के एक क्षेत्र में उपद्रवियों को पकड़ने के लिये उस क्षेत्र की छान बीन करने वाले एक दल के प्रभारी अधिकारी थे। उक्त अवधि के दौरान इनके जवानों को प्रतिदिन 10 से 12 घंटे तक पैदल चलना पड़ा। 5 अक्तूबर 1972 को उन्होंने एक उपद्रवी को पकड़ लिया और नौ हथियार बरामद किये। इस क्षेत्र की छानबीन जारी रखते हुए, 8 अक्तूबर, 1972 को 5 घंटे तक पीछा करने के बाद इन्होंने एक और उपद्रवी को पकड़ लिया। सैकण्ड लेफ्टिनेन्ट मेहर सिंह पठानिया स्थानीय भाषा नहीं जानते थे, अत: इन्होंने एक स्थानीय दुभाषिए की मदद से पकड़े गये उपद्रवियों से काफी पूछ-ताछ करने के बाद यह सूचना हासिल की कि उस क्षेत्र में विद्रोहियों के दो कैम्प हैं। बिना विश्राम किये, इन्होंने अपने जवानों को फिर पैदल लेकर सामान्यत: 14 घंटों में तय की जाने वाली दूरी को 8 घंटे में ही तय करके छुपाव स्थान को घेर लिया। इन्होंने बड़ी मात्रा में हथियार, गोलाबारूद, उपकरण तथा कागजात बरामद किये।

आद्योपान्त सैकण्ड लेफ्टिनेन्ट मेहर सिंह पठानिया ने साहस और नेतृत्व का परिचय दिया।

6. जेसी-41603 सूबेदार एन० के० भास्करण नायर, आर्मी आर्डिनेन्स कोर।

5 मई 1972 को सैन्ट्रल एम्यूनिशन डिपो, पुलगांव के एक प्लेटफार्म पर पाकिस्तान से पकड़े गये गोलाबारूद की एक दुर्घटना हुई जिसके फलस्वरूप लगभग 2300 भरे हुए प्रक्षेपक डिपो के अन्दर, विस्तृत क्षेत्र में, बड़े ही खतरनाक ढंग से इधर-उधर बिखर गये। इनमें से कुछ भरे हुए खतरनाक प्रक्षेपक विस्फोटक भण्डारगृहों की छतों पर और गलियारों के भीतर भी जा पड़े और इससे वहां रखे हुए गोलाबारूद को खतरा पैदा हो गया। बड़े ही खतरनाक ढंग से इधर-उधर बिखरे पड़े, भरे हुए प्रक्षेपकों को हटाने के काम में सूबेदार एन० के० भास्करण नायर ने बड़ी कारगर ढंग से मदद की। वह सप्ताह में सातों दिन, बिना विश्राम किये देर देर तक काम करते रहे। अपना निजी उदाहरण रख कर इन्होंने अपने अधीनस्थ सैनिकों को इस खतरनाक काम को प्रभावशाली ढंग से पूरा करने के लिए उत्साहित किया।

इस कार्य में सूबेदार एन० के० भास्करण नायर ने साहस नेतृत्व और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

7. जे० सी०-45977 सूबेदार धान बहादुर खत्री, गोरखा रायफल्स

दिसम्बर 1971 की संक्रियाओं के दौरान सूबेदार धान बहादुर खत्री के नेतृत्व में एक प्लाटून ने जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्र में एक चौकी पर हमला किया और सफलता प्राप्त की। चौकी पर काबू पा लेने के बाद इन्होंने सुरंग क्षेत्रों में से हताहतों को हटाने तथा फिर से

हमले की पुनर्व्यवस्था करने के लिये आवश्यक समान जुटाने में बड़े साहस तथा और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया। 3 दिसम्बर 1971 से 15 जून 1972 तक छः महीने से अधिक की सम्पूर्ण अवधि में सूबेदार धान बहादुर खत्री ने उत्कृष्ट नेतृत्व तथा कर्त्तव्यपरायणता का परिचय देकर अपनी कमाण्ड को प्रेरणा प्रदान की।

8. जे० सी०-51140 सूबेदार रूप बहादुर मल्ल।
गोरखा रायफल्स।

सूबेदार रूप बहादुर मल्ल, 4/5 मई, 1972 की रात को जम्मू और काश्मीर में पंडार फीचर पर 15 अन्य रैंक के बचाव गश्ती दल के नेता थे। 4 मई, 1972, को 20-40 बजे शत्रु ने अपने एक कम्पनी सैनिकों से इस स्थान पर तीन ओर से, हमला बोल दिया और राकेटों, रिकायलैस तोपों तथा मीडियम मशीनगनों द्वारा सीधी गोलाबारी करके लगभग 100 गज की दूरी पर स्थित फारवर्ड डिफेंडेड लोकेलिटी को तटस्थीकृत कर दिया। उस समय सूबेदार रूप बहादुर मल्ल ने स्थान पर हमला कर रहे शत्रु पर छोटे हथियारों से भारी गोलाबारी की। शत्रु घने अंधेरे में भारी स्वचालित हथियारों की गोलाबारी की सहायता से आगे बढ़ रहा था और उसने गश्ती दल को तीन ओर से घेर लिया। गश्ती दल को घिरा हुआ और शत्रु को पास आता देख कर सूबेदार मल्ल ने अपने जवानों से तब तक सीमित रूप से गोलाबारी करने के लिये कहा जब तक कि शत्रु 80 से 100 गज पास तक न आ जाये, क्योंकि गश्ती दल का बारूद खत्म होता जा रहा था। शत्रु इतना पास आ गया कि उस पर कारगर ढंग से गोली चलाई जा सके, गश्ती दल ने उसको भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन शत्रु चट्टानों और विषम जगहों का सहारा लेते हुए 50 गज पास तक बढ़ आया। इस समय सूबेदार मल्ल ने अपने जवानों के साथ हथगोलों से शत्रु का मुकाबला किया। 23.15 बजे तक छोटे हथियारों से जोरदार गोलीबारी हुई और इस दौरान गश्ती दल ने शत्रु को भारी नुकसान पहुंचाया तथा शत्रु को खदेड़ दिया। शत्रु दो रेडियो सेट, दो रायफलें, हथगोले, बारूद तथा अन्य सामान पीछे छोड़ गया।

इस कार्यवाही में सूबेदार रूप बहादुर मल्ल ने साहस, दृढ़ता तथा नेतृत्व का परिचय दिया।

9. 3141103 हवलदार राजबीर सिंह,
जाट रेजिमेंट।

हवलदार राजबीर सिंह 10 जून, 1972 को जम्मू और काश्मीर के एक क्षेत्र में शत्रु के साथ हुई भीषण लड़ाई के दौरान एक मझोली मशीनगन सैक्शन की कमांड कर रहे थे। शत्रु हमारे इलाके पर तोपों और मझोली मशीनगनों से सभी दिशाओं से भारी गोलाबारी कर रहा था। हवलदार राजबीर सिंह जब शत्रु की मझोली मशीनगन का मुंह बन्द करने आगे बढ़ रहे थे, तो शत्रु का एक राकेट उनके पास आ गिरा, जिससे वे गम्भीर रूप से घायल हो गये। इसके बावजूद भी वे लगातार अपने सैक्शन का हौंसला तब तक बढ़ाते रहे, जब तक कि वे अचेत हो कर गिर नहीं गये।

इस कार्यवाही में हवलदार राजबीर सिंह ने साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

10. 3944346 हवलदार रोशन लाल,
डोगरा रेजिमेंट।

हवलदार इन्स्ट्रक्टर रोशन लाल 16 अगस्त 1972 को सोनमर्ग के हाई अल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल में प्रशिक्षक ड्यूटी पर थे। इस स्कूल में छात्र अफसर गैर-कमीशंड अफसर माऊंटेन वारफेयर बेसिक कोर्स कर रहे थे, जिस में उन्हें 4 से 5 व्यक्तियों के दलों में पहाड़ी नदियों को पार करने का तरीका सिखाया जाता था। अचानक दल के 2 व्यक्ति फिसल गये और सिन्ध नदी में गिरे शिलाखंड के साथ बह गये। हवलदार इन्स्ट्रक्टर रोशन लाल जान हथेली पर लेकर नदी में कूद पड़े और कुछ अन्य इन्स्ट्रक्टरों की सहायता से कुछ ही देर में सात में से छः को बचा लाये। सातवां छात्र नदी की जल धारा के साथ बह कर पत्थरों से भरे एक जल प्रपात में जा फंसा, उसे बचाने के लिये हवलदार रोशन लाल आगे आये और एक रस्सी के सहारे वे उस छात्र तक पहुंचे जो दो पत्थरों के बीच फंसा हुआ था और सम्भवतः पहले ही मर चुका था। ज्योंही हवलदार रोशन लाल उसके पास पहुंचे, वह धारा के साथ और आगे बह गया और दुबारा पत्थरों में फंस गया। हवलदार रोशन लाल तेज बहाव के होते हुए भी उस छात्र के पीछे जाते रहे और बड़ी कोशिश के साथ रस्सी और स्लिग के सहारे उस छात्र तक पहुंचने और उसे नदी से बाहर लाने में सफल हुए।

इस बचाव कार्यवाही के दौरान हवलदार इन्स्ट्रक्टर रोशन लाल ने साहस और पहल शक्ति का परिचय दिया।

11. 5836392 नायक नरबहादुर छेत्री,
गोरखा रायफल्स।

नायक नर बहादुर छेत्री जम्मू और काश्मीर में "पण्डार फीचर" में एक बचाव गश्तीदल के एक सैक्शन कमांडर थे। इस गश्तीदल को 4/5 मई, 1972 की रात्रि को हमारी सीमा में घुसपैठ करने वाले शत्रु को रोकने का कार्य सौंपा गया था। लगभग 20.40 बजे लगभग एक कम्पनी की संख्या में शत्रु ने युद्ध विराम रेखा पार की और स्वचालित और छोटे हथियारों से तीनों दिशाओं से इस गश्तीदल पर भारी गोलाबारी की। शत्रु की गोलाबारी से विचलित हुए बिना नायक नर बहादुर छेत्री शत्रु को उलझाये रखने के लिये अपने साथियों को प्रोत्साहित करने के लिये एक खाई से दूसरी खाई में गये। नायक नर बहादुर छेत्री ने भारी संख्या में हताहतों एवं अपने आप भीषण खतरे का सामना करते हुए शत्रु के आक्रमण को निष्फल करने के लिये अपने सेक्शन को प्रेरित किया।

इनके सराहनीय साहस, नेतृत्व और प्रभावशाली कमान के कारण हमारे क्षेत्र पर कब्जा करने की शत्रु की सारी चाल बेकार गई।

12. 3153871 लांस नायक बुद्ध राम,
जाट रेजिमेंट।

लांस नायक बुद्ध राम 10/11 जून, 1972 की रात्रि को उस गश्तीदल के एक सदस्य थे, जिसे कलसियां में उस दीवार को गिराने का काम सौंपा गया था जो शत्रु ने राकेट लाचर से राकेट छोड़ने के लिये बनाई थी। जब यह गश्तीदल उस दीवार के पास पहुंचा तो उसने देखा कि शत्रु का एक दस्ता सक्रिय रूप से उस दीवार की देख-रेख कर रहा है। शत्रु का सफाया करने के लिये लांस नायक

बुद्ध राम आगे आगे और छुपते छुपते रेंग कर ग्रेनेड फेंकने की सीमा के अन्दर पहुंचे और ग्रेनेड फेंक कर शत्रु के 2 आदमियों को मार डाला। शत्रु दल के शेष व्यक्ति अपने अपने मोर्चे छोड़ कर भाग गये।

इस कार्यवाही में लांस नायक बुद्ध राम ने बड़ी दृढ़ता और साहस का परिचय दिया।

13. 3962249 लांस नायक जागीर सिंह,
डोगरा रेजिमेंट।

लांस नायक जागीर सिंह, 22 सितम्बर, 1972 की रात्रि को उस छापामार दल के एक सदस्य थे, जिसे नागालैंड के एक क्षेत्र में विद्रोहियों के एक छुपे स्थान पर छापा मारने के लिये भेजा गया था। इस गश्तीदल पर विद्रोहियों ने आचानक गोलाबारी शुरु कर दी। कम्पनी कमाण्डर घायल हो गये लेकिन उन्होंने दो विद्रोहियों का पीछा किया। लांस नायक जागीर सिंह ने शेष विद्रोहियों का पीछा किया और वे अचानक एक शत्रु के सामने आ गये जो उन पर गोली चलाने ही वाला था। इन्होंने बड़ी सूझबूझ से काम लिया और उस शत्रु के हथियार को ठोकर मार कर उसे एक ओर कर उस पर झपट पड़े तथा उसे जकड़ कर तब तक नीचे दबोचे रखा जब तक कि उनकी सहायता के लिये और सैनिक नहीं पहुंच गये।

अपनी साहसपूर्ण और तत्काल कार्यवाही से लांस नायक जागीर सिंह ने न केवल विद्रोह को उसके हथियार सहित पकड़ा अपितु अपने दल को भी बचा लिया।

14. 6439012 लांस नायक श्री राम थापा,
गोरखा रायफल्स।

लांस नायक श्री राम थापा 22 जून 1972 को उस दल के एक सेक्शन के प्रभारी अधिकारी थे जिसे नागालैंड के कोहीमा जिले में विद्रोहियों के एक गुप्त स्थान पर छापा मारने के लिये तैनात किया गया था। ऊबड़ खाबड़ भूभाग में से रास्ता बनाता हुआ यह दल 0300 बजे विद्रोहियों के कैम्प के पास पहुंचा। कम्पनी कमांडर ने इन्हें विद्रोही कैम्प के सात "बाशाओं" में से चार पर छापा मारने का आदेश दिया। लांस नायक थापा छुपते-छुपते अपने लक्ष्य तक पहुंच गये। एक एक झोंपड़ी में घुस कर इन्होंने विद्रोहियों को निहत्था करके उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। जान पर खेलने वाले ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शस्त्रों से लैस विद्रोहियों को पकड़ने लिये के उनकी झोंपड़ियों में प्रवेश किया।

इस कार्यवाही के दौरान, लांस नायक श्री राम थापा ने साहस, दृढ़ता और नेतृत्व का परिचय दिया।

15. 4539750 सिपाही श्रीरंग सावंत,
महार रेजिमेंट।

सिपाही श्रीरंग सावंत, 29 मई, 1972 को जम्मू और काश्मीर क्षेत्र में प्रतिक्षेप रहित गन वाली टुकड़ी के नम्बर एक सिपाही थे। इन्हें युद्ध विराम रेखा के इस ओर शत्रु की हमारे इलाके में बनी एक प्रेक्षण चौकी को नष्ट करने का काम सौंपा गया था। सिपाही सावंत चुपके चुपके 80 गज तक शत्रु के बंकर के पास गये और उसे नष्ट करने के लिये इन्होंने 2 गोलियां चलाईं, जिससे बंकर को काफी नुकसान हुआ। इस दौरान शत्रु इन पर लगातार गोलाबारी करता रहा और इसके बावजूद भी इन्होंने दिया हुआ अपना कार्य पूरा कर दिखाया।

इस कार्यवाही में सिपाही श्रीरंग सावंत ने बड़ी दृढ़ता और साहस का परिचय दिया।

अशोक मित्र, राष्ट्रपति के सचिव

वित्त मंत्रालय

सरकारी उद्यम कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 जनवरी, 1974

संकल्प

सं० एफ० 6(23)-समन्वय/73—भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि वित्त मंत्रालय (सरकारी उद्यम कार्यालय) के संकल्प सं० एफ० 6(90)-समन्वय/71, दिनांक 31 दिसम्बर, 1971 के अन्तर्गत नियुक्त की गयी कार्य समिति जिस का कार्यकाल दिनांक 30-4-73 के संकल्प संख्या एफ० 6(23) समन्वय/73 के द्वारा 31 दिसम्बर, 1973 तक बढ़ा दिया गया था, अब आगे 31 मार्च, 1974 तक और बढ़ा दिया जाय।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र के भाग 1 खण्ड 1 में प्रकाशित कराया जाय।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों राज्य सरकारों/संघीय राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों तथा अन्य सभी सम्बन्धित वर्ग को भेजी जाय।

पी० जे० फर्नेन्डिस, अपर सचिव
एवं महानिदेशक

भारी उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 जनवरी 1974

संकल्प

सं० 7(15)/73/टी०एस०डब्ल्यू० (ii)—पिछले दशक से इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हो रही है। इस क्षेत्र में बनाई गई प्रायोजनाओं के अनुसार इंजीनियरी वस्तुओं का निर्यात स्तर जो इस समय 185 करोड़ रु० का है 1978-79 में 400 करोड़ रु० तक पहुंच जाने की आशा है। इसके अतिरिक्त यह अनुमान भी लगाया गया है कि ये आंकड़े 1983-84 में लगभग 750 करोड़ रु० तक और 1985-86 में 900 करोड़ रु० तक बढ़ जायेंगे। निर्यात से संबंधित इंजीनियरी उद्योग की समस्याओं पर विचार करने और इस प्रकार के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस उपाय सुझाने हेतु ताकि निर्धारित स्तर प्राप्त हो सकें, सरकार ने तत्काल सरकारी तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों की एक समिति गठित करना आवश्यक समझा है:—

2. समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे:—

(1) श्री एम० सोंधी, सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय। — अध्यक्ष

(2) श्री आर० तिरुमलाई, अवर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय। — सदस्य

(3) श्री एम० नरसिंहम, सदस्य
अवर सचिव,
आर्थिक कार्य विभाग,
वित्त मंत्रालय ।

(4) अध्यक्ष, सदस्य
इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद ।

(5) अध्यक्ष,
भारतीय इंजीनियरी संघ । सदस्य

(6) ब्रिगेडियर बी० जे० साहनी,
तकनीकी विकास का महा-
निदेशालय । सदस्य

(7) श्री आर० के० सेठी, सदस्य
प्रबंध निदेशक,
राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ।

(8) श्री एस० एम० घोष, सदस्य
संयुक्त सचिव,
भारी उद्योग मंत्रालय ।

(9) डा० ए० के० घोष, सदस्य
आर्थिक सलाहकार,
औद्योगिक विकास मंत्रालय ।

(10) श्री एस० एम० चक्रवर्ती, सदस्य-सचिव ।
निदेशक (तकनीकी),
भारी उद्योग मंत्रालय ।

4. समिति के निम्नलिखित विचारार्थ विषय होंगे :—

(1) पांचवीं योजना अवधि में निर्यात किये जाने योग्य देशों और निर्यात किये जाने वाले देशों के संवर्ग में इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात की योजना बनाना ।

(2) निर्यात प्रोत्साहन लेने और वितरण करने की प्रक्रियाओं को तेज करने के लिये ठोस उपाय सुझाना ।

(3) निर्यात करने के लिये वित्त देने की विशिष्ट योजनाएं बनाना ।

(4) निर्यात क्रया देशों पर सामान का अवंटन करने के लिये नीतियां बनाना ।

(5) निर्यात के लिये अधिक उत्पादन करने हेतु क्षमताओं में वृद्धि करने की योजनायें बनाना ।

(6) विशिष्ट समय में विशिष्ट वस्तुओं के संबंध में उद्योगोन्मुख और देशोन्मुख निर्यात नीति बनाना और निवेश सहायता के लिये एक पैकेज योजना तथा इस प्रकार की नीति में सुधार करने के लिये जो निर्यात आदेशों को प्रोत्साहन करने हेतु आवश्यक हैं, जिनमें वित्तीय प्रबंध और प्रक्रियाओं को सरल बनाना भी सम्मिलित है, तैयार करना ।

5. समिति अपनी रिपोर्ट भारी उद्योग मंत्रालय भारत सरकार को आठ सप्ताह के भीतर देगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प भारत के राजपत्र के भाग 1 खण्ड 1 में प्रकाशित किया जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सरकारी उपक्रमों, राज्य सरकारों/केन्द्रीय शासित क्षेत्रों और अन्य संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए ।

एस० एम० चक्रवर्ती,
निदेशक (तकनीकी)
भारी उद्योग मंत्रालय ।

औद्योगिक विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 नवम्बर, 1973

सं० एस० एस० आई० (1)-17(3)/72-औद्योगिक विकास मंत्रालय के संकल्प सं० एस० एस० आई० (1)-17(3)/72, दिनांक 7 जुलाई, 1972 जिसके अधीन लघु उद्योग बोर्ड का पुर्नगठन किया गया था में निम्नलिखित संशोधन किया जाये :—

"80. डा० जे० डी० वर्मा,
निदेशक,
लघु उद्योग विकास आयुक्त का कार्यालय,
निर्माण भवन,
नई दिल्ली"

के स्थान पर

"80. श्री एस० बी० एस० शर्मा,
निदेशक,
लघु उद्योग विकास आयुक्त का कार्यालय,
निर्माण भवन,
नई दिल्ली"

पढ़ा जाये ।

पी० के० एस० अय्यर,
अवर सचिव ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 17 जनवरी 1974

कार्यालय ज्ञापन

सं० 2(1)74-एच० वाई० डी०-67—संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के अन्तर्राष्ट्रीय जल विज्ञान दशक (आई० एच० डी०) कार्यक्रम के अनुवर्ती दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रीय जल विज्ञान कार्यक्रम (आई० एच० पी०) में भाग लेने संबंधी भारत के निर्णयानुसार, यह मानते हुए कि देश में जल साधनों के विकास और उपयोग संबंधी क्रियाकलापों से देश को जल विज्ञान संबंधी बहुत सी समस्याओं

का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिये निरन्तर वैज्ञानिक पुनर्विलोकन एवं संबंधित राष्ट्रीय अधिकरणों के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान के क्रियाकलाप प्रारंभ करना आवश्यक होगा, भारतीय जल विज्ञान दशक (आई० एच० डी०) के लिये भारत की राष्ट्रीय समिति की सलाह पर अन्तर्राष्ट्रीय समिति के रूप में पुनर्गठित करने का फैसला विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार ने किया है। इस समिति का स्वरूप इस प्रकार है :—

(1) डा० के० आर० रामनाथन, अध्यक्ष
भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला,
अहमदाबाद।

(2) अध्यक्ष, सदस्य
केन्द्रीय जल एवं बिजली आयोग,
नई दिल्ली।

(3) उप महानिदेशक (एस०ए०ई०), ,,
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्,
नई दिल्ली।

(4) वैधशालाओं के महानिदेशक, ,,
नई दिल्ली।

(5) महानिदेशक, ,,
भारतीय भू-सर्वेक्षण,
कलकत्ता।

(6) अध्यक्ष, ,,
केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड,
कृषि विभाग,
नई दिल्ली।

(7) सचिव, ,,
केन्द्रीय सिंचाई एवं बिजली बोर्ड,
नई दिल्ली।

(8) डा० एन० मजूमदार ,,
निदेशक
केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी संस्थान
नागपुर।

(9) श्री के० के० फ्रामजी ,,
महासचिव
अन्तर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल-निकासी आयोग
नई दिल्ली।

(10) श्री पी० आर० आहुजा ,,
संयुक्त सचिव (निवृत) सिंचाई एवं बिजली
मंत्रालय एवं भूतपूर्व अध्यक्ष आई० एच० डी०
समन्वयकारी परिषद् यूनेस्को
नई दिल्ली।

(11) श्री आर० सी० घोष ,,
निदेशक (अनुसंधान कार्य)
वन-अनुसधान संस्थान
देहरादून।

(12) डा० वी० के० अइया सदस्य
प्रधान (आइसोटोप प्रभाग)
भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र
बम्बई।

(13) डा० हरि नारायण ,,
निदेशक
राष्ट्रीय भू-भौतिकी अनुसंधान संस्थान
हैदराबाद।

(14) डा० वी० सी० कुलन्देस्वामी ,,
डीन (स्नातकोत्तर अध्ययन)
इन्जीनियरिंग कालिज, गिन्डी
मद्रास।

(15) श्री जे० पी० नायगामवाला ,,
सदस्य (जल-संपदा)
केन्द्रीय जल एवं बिजली आयोग
नई दिल्ली।

(16) मुख्य हाइड्रोज्योलोजिस्ट ,,
केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड
नई दिल्ली।

(17) प्रोफेसर एम० सी० चतुर्वेदी ,,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था
(आई० आई० टी०)
नई दिल्ली।

(18) श्री एस० बनर्जी ,,
सदस्य-सचिव
भारतीय राष्ट्रीय आई०एच०डी० समिति
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
(सी०एस०आई०आर०)
नई दिल्ली।

2. समिति के तकनीकी सदस्यों का कार्य-काल तीन वर्ष होगा। आई० एच० पी० कार्यक्रम के वृहद् ढांचे के अन्तर्गत इस समिति के उद्देश्य इस प्रकार हैं।

(क) यूनेस्को के वर्तमान आई० एच० डी० कार्यक्रम में तथा यूनेस्को के प्रस्तावित दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रीय जल विज्ञान कार्यक्रम में भारत के प्रभावकारी कार्य को सुनिश्चित करना।

(ख) भारत में जल-वैज्ञानिक गतिविधियों के सामान्य विकास और समय-समय पर इनके पुनर्विलोकन के लिये आई० एच० पी० के कार्य संबंधी ढांचे के अन्तर्गत जल विज्ञान के विज्ञान क्षेत्र का एक समन्वित कार्यक्रम तैयार करना।

(ग) आई० एच० पी० के अन्तर्गत उचित राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन को निम्नलिखित रूप से सुनिश्चित करना।

1—जल विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर संबंधित निरीक्षणों का अन्त:विभागीय संगठन करना।

2—जल विज्ञान के प्रतिनिधि और प्रायोगिक जल-ग्रहण क्षेत्रों जल, के लेखे-जोखे और जल विज्ञान के तत्वांशों पर मानवीय क्रियाकलापों के प्रभाव के अध्ययन का प्रबन्ध करना।

3—जल विज्ञान विषयक समस्याओं के अध्ययन के लिये नई तकनीकों जैसे संहति विश्लेषण प्रणाली का समावेश करना।

—राष्ट्रीय अभिकरणों के माध्यम से जल साधनों के अनुकूलतम उपयोग के विषय में मूलभूत सूचना एकत्र करना।

5—राष्ट्रीय कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं को क्रियान्वित करने के लिये विभिन्न राष्ट्रीय अभिकरणों को कार्मिकों एवं उपकरणों के लिये सहायता अनुदान की सिफारिश करना।

(घ) शैक्षणिक एवं अन्य अनुसंधान संस्थानों को जल-विज्ञान के प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्यक्रम में प्रशिक्षित करने सम्बन्धी आयोजनों में सहायता प्रदान करना

(ङ) जल-विज्ञान संबंधी ऐसी किसी भी विशिष्ट समस्या पर जो किसी भी अभिकरण द्वारा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की जाये अंतरविषयक एवं समन्वित दृष्टिकोण से परामर्श देना।

3. आई० एच० पी० (अन्तर्राष्ट्रीय जल विज्ञान कार्यक्रम) की राष्ट्रीय समिति आई० एच० डी० (अन्तर्राष्ट्रीय जल विज्ञान दशक) की समन्विति परिषद् एवं अन्तर्राष्ट्रीय जल विज्ञान कार्यक्रम के लिये उत्तरदायी तदनुवर्ती संगठन (संगठनों) तथा अन्य राष्ट्रीय समितियों उदाहरणार्थ पर्यावरण आयोजन एवं समन्वय की राष्ट्रीय समिति और पर्यावरण परिक्षण की वैज्ञानिक समिति के साथ प्रभावशाली सहयोग बनाये रखेगी।

वाई० नायुडम्मा, सचिव

कृषि मंत्रालय

(सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 जनवरी, 1974

संकल्प

सं० पी० 17011/1/74-टी० एण्ड० एम०—सहकारी सोसायटियों की गतिविधियों का बड़े पैमाने पर विस्तार हो जाने तथा उनमें विविधता आ जाने से यह बहुत जरूरी हो गया है कि उनके मुख्य प्रबन्धकों के चयन के लिए एक उपयुक्त प्रणाली हो। सहकारिता संबंधी सलाहकार परिषद् ने अपनी 25 मई, 1973 को हुई बैठक में इस बात की सिफारिश की कि एक स्वतंत्र नामिका प्राधिकरण बनाया जाना चाहिए, जो उपयुक्त प्रत्याशियों की नामिकायें तैयार करे, जिनमें से राष्ट्रीय सहकारी परिसंघ उच्च प्रबंधकीय पदों के लिये चयन तथा नियुक्तियां कर सके। इस सिफारिश के अनुसरण में, भारत सरकार इसके द्वारा राष्ट्रीय सहकारी परिसंघों के उच्च प्रबंधकीय पदों के लिए एक नामिका प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:—

(1)	सचिव, सामुदायिक विकास और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय।	अध्यक्ष
(2)	अध्यक्ष, भारतगय राष्ट्रीय सहकारी संघ	सदस्य
(3)	दो राष्ट्रीय सहकारी परिसंघों के अध्यक्ष।	सदस्यगण
(4)	जिनका चयन भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के अध्यक्ष की सलाह से किया जाना है।	
(5)	सचिव, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	सदस्य
(6)	एक प्रबंध संबंधी विशेषज्ञ सहयोजित किया जाना है।	सदस्य
(7)	सहकारी सोसायटियों का केन्द्रीय पंजीयक	संयोजक

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के अध्यक्ष के परामर्श से चुने जाने वाले दो राष्ट्रीय स्तर के सहकारी परिसंघों के अध्यक्ष और सहयोजित किया जाने वाला विशेषज्ञ 2 वर्षों की अवधि के लिए नामिक प्राधिरकरण के सदस्य होंगे।

2. नामिका प्राधिकरण के निम्नलिखित कार्य होंगे:—

(1) राष्ट्रीय सहकारी परिसंघों के उन उच्च प्रबंधकीय पदों, जिन्हें नामिका प्राधिकरण के क्षेत्र में लाने की जरूरत है, की सूचियां तैयार करना और उनका उपयुक्त रूप से श्रेणीकरण करना।

(2) नामों की नामिकायें तैयार करना, जिनमें से राष्ट्रीय सहकारी परिसंघ पूर्वोक्त सूची में शामिल किए गये पदों पर नियुक्ति के लिए व्यक्तियों का चयन कर सकते हैं।

(3) राष्ट्रीय सहकारी पलिसंघों को उच्च प्रबंधकीय कार्मिकों के चयन तथा नियुक्ति की शर्तों के मामलों में सलाह देना।

3. नामिका प्राधिकरण समय-समय पर नामिका में संशोधन कर सकता है।

4. नामिका प्राधिकरण विभिन्न नामिकाओं में शामिल करने के लिए कार्मिकों के चयन और राष्ट्रीय सहकारी परिसंघों को नाम सूचित करने हेतु अपनी पद्धति तैयार करेगा। नामिका प्राधिकरण विशिष्ट पद अथवा पदों के वर्ग के लिए प्रत्याशियों के चयन हेतु एक अन्य सदस्य सहयोजित कर सकता है।

आदेश

आदेश है कि यह संकल्प आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश है कि संकल्प की प्रतिलिपि निम्न को भेजी जाए।

(1) सभी राष्ट्रीय स्तर के सहकारी परिसंघ।

(2) नामिका प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सभी सदस्य।

(3) सहकारिता के प्रभारी सचिव, सभी राज्य सरकारें/केन्द्रशासित क्षेत्र।

(4) सभी राज्य सरकारों/केन्द्रशासित क्षेत्रों की सहकारी सोसायटियों के पंजीयतक।

(5) सचिव, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, सी-56, साउथ एक्सटेंशन, भाग-2, नई दिल्ली।

(6) सदस्य सचिव, सहकारी प्रशिक्षण समिति, 34-साउथ पटेल नगर, नई दिल्ली-8।

(7) निदेशक, वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, भारतीय रिजर्व बैंक बिल्डिंग, गनेशखींद रोड, पूना-16 :

के० एस० बावा, संयुक्त सचिव

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसम्बर 1973

सं. 27(1)/73-सी० डी० एन० (1)/भा० कृ०अ०प०—भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की नियमावली के नियम 75 के उपबन्धों के अधीन कृषि मंत्री, श्री मणिभाई डी० देसाई, निदेशक, भारतीय कृषि औद्योगिक संस्थापन, उर्लीकांचन, जिला पूना (महाराष्ट्र) को, 13 दिसम्बर, 1973 से 7 जलाई, 1975 तक की अवधि तक या उनके स्थान पर उत्तराधिकारी मनोनीत किये जाने तक, इनमें जो भी पहले हो सोसायटी की पशु-विज्ञान अनुसंधान की स्थायी समिति का सदस्य सहर्ष मनोनीत करते हैं। यह रिक्तता भावड़ी के श्री बजरंग बहादुर सिंह की मृत्यु के कारण हुई है।

एम० डी० पाण्डे, अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 16th January 1974

No. 24-Pres./74.—The Preisdent is pleased to award the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of the officer

Shri O.P. Sharma,
Subedar,
45th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 31st October, 1972 when Shri O.P. Sharma was returning to his Company Headquarters in Khammam District of Andhra Pradesh along with three constables who accompanied him in his tour, he saw six persons passing through a forest road. One of these persons was carrying a stick like thing covered in a towel. On having some suspicion Shri Sharma challenged the suspects to disclose their identity. The suspect, who was carrying a double barrel gun covered in a towel, fired upon Shri Sharma. The shot narrowly missed Shri Sharma. On being pressed by the police party, the desperadoes attempted to escape into thick forest. In disregard of his personal safety, Shri Sharma chased the desperado who was having the gun. In the scuffle with the desperado, Shri Sharma was hit severely with the butt of the gun but he remained undeterred and ultimately overpowered the armed desperado. On search, in addition to the double-barrel gun a dagger and some other articles were also recovered from the possession of the culprit.

In this encounter Shri O.P. Sharma exhibited conspicuous gallantry and high devotion to duty.

2. This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 31st October, 1972.

The 20th January 1974

No. 25-Pres. 74.—The President is pleased to approve the award of ASHOKA CHAKRA for most conspicuous bravery to :—

1. Shri MUNNILAL, (Posthumous)
Village Vinayaki,
Police Station Rahatgarh,
District Sagar,
Madhya Pradesh
(Effective date of award—12th April, 1972.

On the 12th April, 1972 at about 19·30 hrs. a gang of 14 to 15 dacoits equipped with fire-arms entered the village Vinayaki Abadi, District Sagar, Madhya Pradesh, for dacoity and kidnapping. As soon as Shri Munnilal saw the dacoits approaching the village, he alerted the villagers and started organising them to face the gang. Only two villagers had arms with them. Shri Munnilal posted one of them at a safe place with instructions to fire at the dacoits as soon as they come within the firing range and asked the other villager to keep himself in readiness and to start firing in case of necessity. He then divided the other villagers in suitable groups, equipped them with lathis and himself led them to surround the dacoits in utter disregard of his personal safety. Shri Munnilal succeeded in his efforts and fought with one of the dacoits with his lathi. When the other dacoits found that the villagers were determined to put up a fight, they fired at Shri Munnilal and he died on the spot. The heroic fight put up by the villagers under the leadership of Shri Munnilal frightened the dacoits so much that despite superior fire power at their command they ran away. By handling the situation successfully, Shri Munnial saved the life and property of the villagers although he laid down his own life in the encounter.

Shri Munnilal's bold action, leadership and self-sacrifice in fighting against armed dacoits is a shining example of gallentry and dedication.

2. JC-47692 Naib Subedar GURNAM SINGH (Posthumous) Engineers.

(Effective date of award—23rd September, 1973)

On the 23rd September 1973, a demonstration was arranged by the College of Military Engineering for the visiting staff and student-officers of the Defence Services Staff College. One item of the demonstration was the actual firing of the Charge Line Mine Clearing, an explosive device for the clearing of enemy minefields, which was recently introduced in the service. Naib Subedar Gurnam Singh was detailed to fire this explosive charge under simulated battle conditions. He was assisted by a party of seven sappers in this task.

While Naib Subedar Gurnam Singh was in the process of setting up and preparing the Charge Line Mine Clearing for firing, the tail initiator of the charge got prematurely actuated. He at once realised that the entire explosive was likely to blow up within 10 seconds. Realising the danger to the lives of the men under his command, he immediately ordered them to run to a safe distance and he himself, in utter disregard of his personal safety, set upon the hazardous task of uncoupling the actuated tail initiator to render the Charge Line Mine Clearing completely safe and to ensure the safety of the equipment as also to avoid the upsetting of the proceedings of the demonstration. But unfortunately, inspite of his best efforts and determination he was not able to prevent the explosion within the few seconds, at his disposal. There was an explosion and Naib Subedar Gurnam Singh was blown to pieces. Thus, in order to save the lives of the men under his command, Naib Subedar Gurnam Singh made the supreme self-sacrifice.

In this action, Naib Subedar Gurnam Singh displayed most conspicuous gallantry, leadership and devotion to duty in the highest traditions of the Army.

The 26th January 1973

No. 23-Pres./74.—The President is pleased to approve the award of the "SENA MEDAL"/"ARMY MEDAL" to the undermentioned personnel for acts of exceptional devotion to duty or courage :—

1. Major MAN MOHAN MALIK (IC-13668)

Gorkha Rifles.

Major Man Mohan Malik was in charge of a raiding party to capture hostiles in an area in Nagaland on 22nd June, 1972. The party led by Major Malik reached the area of the hostile camp after a march of a long distance over rugged terrain. At 0300 hours, on arrival at the area, he carried out a quick appreciation and decided to raid the hide-out in darkness rather than wait for day break. He accordingly allotted tasks to his party and personally led the main group on to the hostiles camp. With great determination he approached the huts. One of the hostiles suddenly came out of a hut and rushed into the jungle. Major Malik ran after him and overpowered him. The area of the huts was then searched and five hostiles, a large quantity of arms, ammunition and documents were captured.

In this action, Major Man Mohan Malik displayed courage and leadership.

2. Major JANG BAHADUR SINGH MEHTA. (IC-18769)

Dogra Regiment.

On the night of 22nd/23rd September, 1972, Major Jang Bahadur Singh Mehta was incharge of a patrol party sent to investigate the rumours about the presence of hostiles near a village in Nagaland. As the suspected hide out was in unfamiliar terrain, he volunteered to act as the scout and was thus leading the patrol. At approximately 0330 hours, the party was suddenly fired upon by the hostiles. Major Mehta rushed forward, all the while firing his weapon, and wounded two hostiles and grappled with another. In the process, he was shot and badly injured in the neck. Undaunted, he continued to lead the patrol to the suspected hide out, and after three hours, surrounded the camp and captured one hostile. All the while he was bleading profusely and only after the end of the mission did he permit his party to evacuate him.

In this action, Major Jang Bahadur Singh Mehta displayed courage, leadership and devotion to duty of a high order.

3. Captain SURINDER SINGH, (IC-18226)

Army Ordnance Corps.

On 5th May, 1972, as a result of an accident involving the captured Pakistani ammunition at a platform in the Central Ammunition Deptt. Pulgaon, about 2300 unexploded projectiles in a most dangerous condition were scattered over a wide area inside the Depot. Some of these unexploded dangerous projectiles also landed on the roof tops and within the traverses of the explosive store houses thereby endangering the ammunition stored therein. Captain Surinder Singh, who was detailed for clearing the dangerous ammunition, took the job in hand with determination, zeal and devotion to duty. Such a task, which in the normal course would have taken anything upto six to nine months, was completed by him with the assistance of two other officers, one Junior Commissioned Officer, two ammunition technical Non-Commissioned Officers and twenty labourers in a record time of 67 days only. During the course of the performance of duties, he carried out a hazardous task by picking up dangerous unexploded projectiles with a view to save the ammunition lying in the nearly explosive store houses. By his personal example, he infused a sprit of devotion in his subordinate staff and thus rendered the entire area safe in a record time without any mishap and the least possible expence to the State.

In this action, Captain Surinder Singh displayed courage, leadership and devotion to duty.

4. 2nd Lieutenant JASBIR SINGH, (IC-24567)

Kumaon Regiment.

On the 4th February 1972, 2nd Lieutenant Jasbir Singh was in charge of a patrol party searching an area in Nagaland. At approximately 1000 hours, the party was ambushed by hostiles and subjected to heavy fire. 2nd Lieutenant Jasbir Singh, with rare presence of mind and courage, charged forward and killed the commander of the ambush party, self-styled Lieutenant Pushatso and destroyed his weapon. The rest of the ambush party fled in disarray. This officer had done a similar act on 10th July, 1971, when he charged and killed one hostile and captured another.

In this action, 2nd Lieutenant Jasbir Singh displayed courage and leadership.

5. 2nd Lieutenant MEHAR SINGH PATHANIA (SS 25726)
Punjab Regiment.

2nd Lieutenant Mehar Singh Pathania was in charge of a search party from 5th to 10th October 1972, to apprehend hostiles in an area in Nagaland. Throughout this period the officer marched his men 10 to 12 hours a day. On 5th October 1972, they apprehended a hostile and recovered nine weapons. Continuing the search, they apprehended another hostile after a five hour chase on 8th October 1972. Not knowing the language, 2nd Lieutenant Mehar Singh Pathania Procured a local interpreter and, after extensive and intense interrogation extracted the information that there were two camps in that area. Immediately without any rest, he again marched his men and covered the distance in 8 hours, a distance normally covered in 14 hours and surrounded the hide out. They recovered a huge quantity of weapons, ammunition equipment and documents.

Throughout, 2nd Lieutenant Mehar Singh Pathania displayed courage and leadership.

6. JC 41603 Subedar N.K. BHASKARAN NAIR

Army Ordnance Corps.

On 5th May 1972, as a result of an accident involving the captured Pakistani ammunition at a platform in the Central Ammunition Depot, Pulgaon, about 2300 unexploded projectiles in a most dangerous condition were scattered over a wide area inside the Depot. Some of these unexploded dangerous projectiles also landed on roof tops and within the traverses of the explosive store houses thereby endangering the ammunition stored therein. Subedar N.K. Bhaskaran Nair ably assisted in the clearance of unexploded projectiles lying scattered in a most dangerous state. He worked long hours without rest seven days during a week. By his personal example, he infused his subordinates to carry out a dangerous task effectively.

In this action, Subedar N.K. Bhaskaran Nair displayed courage, leadership and devotion to duty.

7. JC 39977 Subedar DHAN BAHADUR KHATTRI

Gorkha Rifles.

During the operations in December 1971, Subedar Dhan Bahadur Khattri commended a platoon in a successful attack on a post in the Jammu and Kashmir rector. After the capture of the post, he displayed great courage and devotion to duty in the evacuation of casualties through mine fields and bringing up of essentially required reorganisation stores.

Throughout the period of more than six months from 3rd December 1971 to 15th June, 1972, Subedar Dhan Bahadur Khattri inspired his command by leadership and devotion to duty of a high order.

8. JC 51140 Subedar RUP BAHADUR MALL

Gorkha Rifles.

Subedar Rup Bahadur Mall was patrol leader of a protective patrol of 15 OR (at pandar feature) in J&K on the night of 4th/5th May 1972. At 2040 hours on 4th May 1972, when the enemy started attacking the feature with a company strength from three sides and neutralised the Forward Defended Locality approximately 100 yards away by direct fire of rockets, Recoilles Guns and Medium Machine Guns, Subedar Rup Bahadur Mall brought down heavy small arms fire on the enemy assaulting the feature. The enemy was moving forward under cover of pitch darkness and heavy automatic fire and surrounded the patrol from three directions. Seeing the patrol encircled and enemy closing in, Subedar Mall exhorted his men to control their fire till the enemy closed in 80 to 100 years as the patrol was running short of ammunition. The enemy came under effective fire and the patrol inflicted heavy casualties but the enemy further advanced about 50 yards taking cover behind rocks and undulating ground. At this stage, Subedar Mall with his men engaged the enemy with hand grenades. Heavy exchange of small arms fire took place till 2315 hours during which the patrol inflicted heavy casualties on the enemy and repulsed the enemy attack. The enemy left behind two radio sets, two rifles, grenades, ammunition and other items.

In this action, Subedar Rup Bahadur Mall displayed courage, determination and leardership.

9. 3141103 Havildar RAJBIR SINGH

Jat Regiment.

Havildar Rajbir Singh was Commanding a Medium Machine Gun Section in an area in the Jammu and Kashmir Sector on on 10th June 1972 during a fierce fight with the enemy. In this encounter our locality was being heavily engaged by enemy guns and Medium Machine Guns from many directions. While Havildar Rajbir Singh was taking counter action against the enemy Medium Machine Guns, one of the enemy rockets landed near him, as a result of which he was wounded seriously. Inspite of this, he continued inspiring his Section undaunted till he fell unconscious.

In this action, Havildar Rajbir Singh displayed courage, leadership and devotion to duty.

10. 3944346 Havildar ROSHAN LAL

Dogra Regiment.

Havildar Instructor Roshan Lal was on instructional duty with the High Altitude Warfare School at Sonamarg. On 16th August 1972, the student officers non-commissioned officers attending the Mountain Warfare Basic Course, were practising the method of Wading through mountain streams in parties of 4 to 5 persons, Suddenly, two of the parties slipped accidentally and were carried away in the boulder strewn Sind River. Havildar Instructor Roshan Lal jumped into the river in complete disregard to his personal safety and, with the help of some other instructors, was able, in a short time, to rescue six of the seven students who were involved. The seventh student was carried away by the current into a boulder strewn water fall. To rescue him, Havildar Roshan Lal volunteered to lowr himself into the water and after being properly belayed by a rope, was able to reach the student who was stuck between two boulders and was, perhaps, already dead. The moment Havildar Roshan Lal reached near the body, it got carreid away further with the current and was again stuck in boulders. Havildar Roshan Lal followed the body through the extremely strong current and almost doing monkey tricks succeeded in tying the body with rope and slings and bringing it out of the river.

Throughout this rescue operation, Havildar Instructor Roshan Lal displayed courage and initiative.

11. 5836392 Naik NAR BAHADUR CHHETRI

Gorkha Rifles.

Naik Nar Bahadur Chhetri was one of the Section Commanders of a protective patrol at Feature Pandar in Jammu and Kashmir. On the night of 4th/5th May, 1972, the patrol was given the task of preventing encroachment on our territory by the enemy. At about 2040 hours, the enemy, aproximately one company strength, crossed the cease-fire line and assaulted the protective patrol from three directions bringing down heavy automatic and small arms fire. Undaunted by enemy fire, he, with complete disregard to his personal safety, moved from trench to trench giving inspiration to his men to effectively engage the enemy. Throughout this action, Naik Nar Bahadur Chhetri inspired his section to beat back enemy's on slaught regardless of grave danger and casualties.

Due to his exemplary courage, leadership and effective command and control, enemy's attempt of capturing the feature in our territory was foiled.

12. 3153871 Lance Naik BUDHA RAM

Jat Regiment.

Lance Naik Budha Ram was a member of a patrol on the night of 10th/11th June 1972 which was assigned the task of demolishing a wall built by the enemy for sniping and firing rocket launchers in the Kalsian Sector. When the patrol reached in the vicinity of the wall, it was discovered that it was held by an active enemy detachment. Lance Naik Budha Ram volunteered to eliminate the enemy. He crawled stealthily within the grenade range and killed two of the enemy by throwing grenades at them. The remainder enemy party abandoned the position.

In this action, Lance Naik Budha Ram displayed courage and determination.

13. 3962249 Lance Naik JAGIR SINGH

Dogra Regiment.

On the night of 22nd September 1972, Lance Naik Jagir Singh was a part of a raiding party which was sent to raid a hostile hide out in an area in Nagaland. This patrol party was suddenly fired upon by the hostiles. The Company Commander was wounded, but chased two hostiles. Lance Naik Jagir Singh chased the rest of the hostiles and suddenly came face to face with one of them who was about to fire at him. With great presence of mind, he kicked the weapon of the hostile and jumping on him, grappled with him and held him dwon till help arrived.

By his bold, courageous and prompt action, Lance Naik Jagir Singh not only captured a hostile with his weapon but also saved the rest of his party.

14. 5439012 Lance Naik SIRI RAM THAPA

Gorkha Rifles.

Lance Naik Siri Ram Thapa was incharge of a section which was a part of a force detailed to raid a hostiles hide out in the Kohima district in Nagaland on 22nd June 1972. After a a difficult approach march over rugged terrain the party reached the area of the hostile camp at 300 hours. The company commander ordred him to raid four of the seven bashes forming the hostile camp. He stealthily crept up and surrounded his objective. He then personally entered each hut and apprehended and disarmed the hostiles. At great risk to his life, he was the fist to enter the huts to capture the hostiles who were armed.

Throughout this operation, Lance Naik Siri Ram Thapa displayed courage, determination and leadership.

15. 4539750 Sepoy SHRIRANG SAWANT

Mahar Regiment.

On 29th May 1972, Sepoy Shrirang Sawant was Number one of the Recoilless Gun Detachment in the Jammu and Kashmir sector. He was detailed to destroy an enemy observation Post Bunker constructed on our side of the cease fire line. Sepoy

Sawant moved to within 80 yards of the enemy bonker undetected and fired two rounds to destroy it, due to which the bunker was effectively demolished. Thoughout this period, the Sepoy was under constant enemy fire and inspite of heavy odds he completed the task allotted.

In this action, Sepoy Shrirang Sawant displayed courage and determination.

A. MITRA

Secretary to the President.

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRY

New Delhi The 2nd January, 1974.

RESOLUTION

No. 7/(15)/73/TSW II—The export of engineering goods has been rising significantly over the past decade. According to the projections made in this field, the exports of engineering goods are likely to reach a level of Rs. 400 crores in 1978-79 from its present level of Rs. 185 crores. It is further envisaged that the figure will rise to approximately Rs. 750 crores in 1983-84 and to Rs. 900 crores in 1985-86. In order to consider the problems of the engineering industry relating to exports and also to suggest concrete steps to stimulate such exports so that the projected levels could be reached, Government have considered it necessary to set up a committee of officials and non-officials immediately.

2. The committee shall consist of the following:—

1. Shri M. Sondhi, Secretary, Ministry of Heavy Industry	Chairman
2. Shri R. Tirumalai, Additional Secretary, Ministry of Commerce.	Member
3. Shri M. Narasimham, Additional Secretary, Department of Economic Affairs Ministry of Finance.	Member
4. Chairman, Engineering Export Promotion Council.	Member.
5. Chairman Indian Engineering Association	"
6. Brig. B. J. Shahancy, Dir. Gen. Tech. Dev.	"
7. Shri R. K. Sethi, Mg. Director, National Industrial Development Corporation	"
8. Shri S. M. Ghosh, Joint Secretary, Ministry of Heavy Industry.	"
9. Dr. A. K. Ghosh, Economic Adviser, Ministry of Industrial Development	"
10. Shri S. M. Chakravarty. Director (Technical) Ministry of Heavy Industry.	Member,-Secretary.

4. The following will be the terms of reference to the Committee :—

(*i*) to plan export of engineering goods during the Fifth Plan period with reference to the exportable surpluses and the countries to be exported to;

(*ii*) to suggest concrete steps for quickening the processes of drawal and imbursement of export incentives.

(*iii*) to formulate policies of allocation of materials against export orders.

(*iv*) to formulate specific schemes of export financing.

(*v*) to formulate schemes for enhancement of capacities to generate surpluses for export.

(*vi*) to formulate a complete Industry-oriented and Country oriented export strategy in respect of specific items within a specific time period and also a package plan for in-put assistance and such policy correctives as are necessary to sustain the order of export, including the financing arrangements and streamlining of procedures.

5. The Committee shall submit its report to the Government of India in the Ministry of Heavy Industry within eight weeks.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India, Part I, Section I.

Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Government of India, Public Sector Undertakings State Governments/Administrations of Union Territories and all orthers concerned.

S.M. CHAKRAVARTY

Director (Technical)

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 28th November 1973

No. SSI(I)-17(3)/72.—In the Ministry of Industrial Development Resolution No. SSI(I)-17(3)/72, dated the 7th July, 1972, under which the Small Scale Industries Board was re-constituted, the following amendment may be made :—

FOR

"80. Dr. J.D. Verma,
Director,
Office of the Development Commissioner,
Small Scale Industries,
Nirman Bhavan, New Delhi."

READ

"80. Shri S.V.S. Sharma,
Director,
Office of the Development Commissioner,
Small Scale Industries,
Nirman Bhavan, New Delhi."

P.K.S. IYER,

Under Secy.

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

New Delhi, the 17th January 1974

No. 2(1)/74-Hyd.-67.—In pursuance of India's decision to participate in the long-term International Hydrological Programme (IHP) of the UNESCO, succeeding its IHD programme, and recognising that the water resources development and utilisation activities in the country will pose hydrological problems that will need continuous scientific review and the necessity to initiate integrated research activities through the concerned national agencies, the Department of Science and Technology have decided, on the advice of the Indian National Committee for IHD, to reconstitute it into a permanent Indian National Committee for IHP consisting of the following :—

1. Dr. K.R. Ramanathan, Physical Research Laboratory, Ahmedabad.	Chairman

2. Chairman, Central Water & Power Commission, New Delhi.	Member
3. Deputy Director General (SAE) Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.	"
4. Director-General of Observatories, New Delhi.	"
5. Director-General, Geological Survey of India, Calcutta.	"
6. Chairman, Central Ground Water Board, Department of Agriculture, New Delhi.	"
7. Secretary, Central Board of Irrigation & Power, New Delhi.	"
8. Dr. N. Mazumdar, Director, Central Public Health Engg. Research Institute, Nagpur.	"
9. Shri K.K. Framji, Secretary-General. International Commission on Irrigation, and Drainage, New Delhi.	"
10. Shri P.R. Ahuja, Joint Secy. Min. of Irrigation & Power, (retired) and Ex-Chairman UNESCO IHD Coordinating Council, New Delhi.	"
11. Shri R.C. Ghosh, Director-Research Forest Research Institute, Dehra Dun.	"
12. Dr. V.K. Iya, Head, Isotope Division, Bhabha Atomic Research Centre, Bombay.	"
13. Dr. Hari Narain, Director, National Geophysical Research Institute, Hyderabad.	"
14. Dr. V.C. Kulandaiswamy, Dean, P.G. Studies, Engineering College, Guindy, Madras.	"
15. Shri J.P. Naegamwala, Member (WR) Central Water & Power Commission, New Delhi.	"
16. Chief Hydrogeologist, Central Ground Water Board, New Delhi.	"
17. Prof. M.C. Chaturvedi, Professor of Civil Engineering, Indian Institute of Technology, New Delhi.	"
18. Shri S. Banerji, Member-Secretary, National IHD Committee CSIR, New Delhi.	Member-Secy.

2. The tenure of the technical members of the Committee will be for a period of three years. The objectives of this Committee within the broad framework of IHP are :

(a) To ensure effective participation of India in the current IHD programme of UNESCO and in the proposed long-term International Hydrological Programme of UNESCO.

(b) To draw up a coordinated programme on the scientific aspects of hydrology within the framework of IHP for the general development of hydrological activities in India and reviewing it from time to time.

(c) To ensure implementation of the National Programme under the IHP through appropriate national agencies by :

(i) inter-disciplinary organisation of observations in the different fields of hydrology.

(ii) arranging studies of representative and experimental basins to assess water balance and the impact of human activity on the hydrological factors.

(iii) introducing newer techniques such as system analysis to study hydrological problems.

(iv) arranging through appropriate agencies the collection of basic information required for planning optimum utilisation of water resources.

(v) recommending grant of funds to different national agencies for equipment, personnel etc. for implementing different aspects of the National Programme.

(d) To assist educational and other research institutions, in organising training and research programmes in hydrology.

(e) To advise on any special hydrologic problem that any agency may present to the Committee for consideration from an interdisciplinary and integrated approach.

3. The National Committee for IHP will maintain effective collaboration both with the Coordinating Council for IHD and its successor international organisation(s) responsible for the International Hydrological Programme, and other National Committees e.g. the National Committee for Environmental Planning and Coordination and Scientific Committee on Preservation of Environment.

Y. NAYUDAMMA,
Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Deptt. of Cooperation)

New Delhi, the 2nd January, 1974

No. P. 17011/1/74-T&M.—With the large scale expansion in and diversification of the activities of cooperatives, a proper system of selection of their Chief Executives has become imperative. The Consultative Council on Cooperation, in its meeting held on the 25th May, 1973, recommended that there should be an independent Panel Authority for preparing panels of suitable candidates from which the national cooperative federations could select and make appointments to top management posts. In pursuance of this recommendation, the Government of India hereby constitutes a Panel Authority for top management posts of National Cooperative Federations, consisting of the following:

1. Secretary, Departments of Community Development & Cooperation, Ministry of Agriculture.	Chairman
2. President, National Cooperative Union of India	Member
3&4. Presidents of two national cooperative federations to be selected in consultation with the President, National Cooperative Union of India	Member
5. Secretary, National Cooperative Development Corporation	Member
6. An expert on management to be co-opted	Member
7. Central Registrar of Cooperative Societies	Convenor

The Presidents of the two National level Cooperative Federations to be selected in consultation with the President, National Cooperative Union of India and the Expert to be co-opted shall be Members of the Panel Authrority for a period of two years.

2. The functions of the Panel Authority shall be :

(i) to prepare lists of top management posts in the national cooperative federations which are required to be brought within the purview of the Panel Authority and to suitably categorise the same;

(ii) to prepare panels of names from which the national cooperative federations may select persons for appointment to the posts included in the aforesaid list;

(iii) to advise the national cooperative federations on matters relating to selection and terms and conditions of appointment of top managerial personnel.

3. The Panel Authority may revise the panels periodically.

4. The Panel Authority will evolve its own procedure for selection of personnel for inclusion in the different panels and for communication of names to the national cooperative federations. The Panel Authority may, for selecting candidates for a particular post or category of posts, co-opt another member.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to :—

(1) All National level Cooperative Federations.

(2) The Chairman and all members of the Panel authority.

(3) The Secretary incharge of Co-operation, all State Governments/Union Territories.

(4) The Registrar of Co-operative Societies of all State Governments/Union Territories.

(5) Secretary, National Co-operative Development Corporation, C-56, South Extension, Part II, New Delhi.

(6) Member Secretary, Committee for Co-operative Training, 34, South Patel Nagar, New Delhi-8.

(7) The Director, Vaikunth Metha National Institute of Co-operative Management, Reserve Bank of India Building, Ganeshkhind Road, Poona-16.

K. S. BAWA,
Jt. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 28th December 1973

No. 27(1)/73-Cdn.I/I CAR.—Under the provision of Rule 75 of the Rules of the Indian Council of Agricultural Research, the Minister of Agriculture has been pleased to nominate Shri Manibhai B. Desai, Director, Bhartiya Agro-Industries Foundation, Urlikanchan, Distt. Poona (Maharashtra), as a member of the Standing Committee for Animal Sciences Research of the Society for the period from the 13th December, 1973 to 7th July, 1975 or till such time as his successor is nominated thereon by him, whichever is earlier, in the vacancy resulting from the death of Shri Bajrang Bahadur Singh of Bhaduri.

M. D. PANDE,
Under Secy.

New Delhi, the 27th December 1973

No. 8-3/73-VI(7-1).—In partial modification of the Ministry of Food and Agriculture Department of Agriculture's Resolution No. 12-24/57-FY(D) dated 1st April 1958 and in continuation of this Ministry's notification No. 19-3/39-Fy(P) dated 3rd/4th May, 1972, the President is pleased to nominate the following as members of the Central Board of Fisheries :

1. Director, Central Institute of Fisheries Technology, Cochin.

2. Director Central Institute of Fisheries Operatives, Bombay.

3. Director, Central Institute of Fisheries Education Cochin.

4. Director, Integrated Fisheries Project, Cochin.

5. Director, Pelagic Fisheries Project, Cochin.

6. Director, Pre-Investment Survey of Fishing Harbours Project, Bangalore.

K. K. BHATNAGAR
Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974